न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राज.)

अपील संख्या 12/27/2024

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2024/65

अपीलार्थी

श्री अमरचन्द मीना,
नि0. जे–77, तीसरा तल, पर्यावरण कॉम्प्लेक्स,
इगनू रोड, नई दिल्ली–110068

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी, लक्ष्मणगढ (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 29.08.2024

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 09.10.2024

1. उभय पक्ष अनुपस्थित।
2. पत्रावली में सम्मिलित अभिलेखों का अवलोकन किया गया एवं अपील के तथ्यों का समग्रतापूर्वक मनन किया गया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 17.07..2024 के द्वारा आ.ख.नं. 58/2 रकबा 0.17 हैक्टेयर वाके ग्राम–सैमला, तह0 लक्ष्मणगढ पर अवैध अतिक्रमण के संबंध में विविध बिन्दुवार सूचना चाही गई थी।
4. उक्त सूचना आवेदन के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध नहीं कराये जाने/किए गए विनिश्चय के विरूद्ध हस्तगत अपील इस न्यायालय को संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के परिप्रेक्ष्य में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर तलब किया गया। प्रत्यर्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ किन्तु पत्र सं. आर.टी.आई/2024/1703–04 दिनांकः 23.09.2024, जिसकी प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है, के माध्यम से बिन्दुवार जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
6. अपीलार्थी के सूचना आवेदन व हस्तगत अपील के तथ्यों का विवेचन किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 17.07..2024 के परिप्रेक्ष्य में पत्र सं. आर.टी.आई./2024/1308 दिनांकः 20.08.2024 के माध्यम से उनके अभिलेख पर उपलब्ध/संधारित दस्तावेजी सूचना से संसूचित किया जा चुका है, साथ ही अंकित किया है कि आवेदन में संदर्भित भूमि नगरपालिका लक्ष्मणगढ के क्षेत्राधिकार से संबंधित है जिसके संबंध में नगरपालिका लक्ष्मणगढ के उच्चाधिकारीगण–क्षेत्रीय निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राज0 जयपुर को भी नियमानुसार कार्यवाही हेतु लिखा जा चूका है।
7. इस प्रकार अपील में उठाये गये तथ्य, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के विधिक प्रावधानों के आलोक में निराधार हैं।
8. प्रत्यर्थी द्वारा प्रश्नगत सूचना आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। उक्त आलोक में अपील, अपीलार्थी **खारिज कर निस्तारित** की जाती है।
9. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. आज दिनांकः 09.10.2024 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)